आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाषः : 0522–4070570
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awasbandhu.in

संख्याः 459 /आ0ब0–1/निदेशक/2023–24 दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
(अयोध्या को छोड़कर) उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
4. **प्रबन्ध निदेशक,**
यू0पी0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0,
लखनऊ।
5. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।
6. **सचिव,**
रेरा,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय : उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा नाको भारत सरकार से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा नाको भारत सरकार से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिकोण से दिनांक 18.11.2022 को आयोजित स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेन स्ट्रीम बैठक में लिए गये निर्णय/सुझाव के क्रम में की जाने वाली कार्यवाहियों का उल्लेख करते हुए, शासन के पत्र सं0 815/आठ–1–23–815/2023 दिनांक 18.09.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन एवं आवास बन्धु को अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

2. शासन के उक्त पत्र के क्रम में कृत कार्यवाही की सूचना अभी तक अप्राप्त है। अतः उक्त के दृष्टिगत, आपसे अनुरोध है कि कृपया शासन के उक्त पत्र द्वारा अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र कराते हुए, कृत कार्यवाही से शासन एवं आवास बन्धु को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
22/12
(रवि जैन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रवि जैन)
निदेशक

संख्या : 815/आठ–1–23–815/2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
4. **प्रबन्ध निदेशक,**
   यू0पी0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0,
   लखनऊ।
5. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
   उ0प्र0 लखनऊ।
6. **सचिव,**
   रेरा,
   उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2023**

विषयः उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा नाको भारत सरकार से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा नाको भारत सरकार से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिकोण से दिनांक 18.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) को अयोजित स्टेट लेवल ज्वाइन्ट वर्किंग ग्रुप मेन स्ट्रीम बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव के क्रम में निम्नवत कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) विभागीय बैठकों/कार्यशालाओं में एच.आई.वी./एड्स विषय को समाहित करते हुए समस्त स्टाफ को संवेदीकृत किया जाए।

(2) विभागीय आई.ई.सी. सामग्रियों में एच.आई.वी./एड्स जागरूकता एवं टोल फ्री हैल्प लाईन नं0–1097 को सम्मिलित किया जाए।

(3) एच.आई.वी./एड्स एक्ट–2017 राज्य स्तरीय नियमावली के तहत निर्दिष्ट शिकायत अधिकारी को विभाग द्वारा नामित करते हुए सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए।

2– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन एवं आवास बन्धु को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, सप्तम तल, मण्डी परिषद भवन, 16, ए.पी.सेन रोड, चारबाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

12/9/2023

आज्ञा से,
(किशलय सिंह)
अनु सचिव।